न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :— सुदर्शन सिंह तौमर, आर.ए.एस. कार्यवाहक जिला कलक्टर धौलपुर

अपील (प्रकरण) संख्या :— 20/2020 RCMS No.2020/00036

उनवानी प्रकरण :—

राकेश कुमार उचित मूल्य दुकानदार ग्राम धन्नू का पुरा ग्राम पंचायत धीमरी 1/3 भाग तहसील बाडी जिला धौलपुर ———————————— अपीलान्ट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ——————— रेस्पोडेन्ट।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्य पदार्थ एवं आवश्यक वस्तु (रेग्यूलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन) ऑडर 1976 विरूद आदेश जिला रसद अधिकारी धौलपुर तारीख 16.09.2020 बावत निरस्त करने अनुज्ञापत्र कमांक 45/12 ग्राम धन्नू का पुरा ग्राम पंचायत धीमरी 1/3 भाग तहसील बाडी

उपस्थिति :—

अपीलान्ट की ओर से :— श्री अमित वघेला अभिभाषक।
रेस्पोडेण्ट की ओर से :— श्री गजेन्द्र बावू शर्मा, जिला रसद अधिकारी धौलपुर

निर्णय दिनांक 29..06.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 16.09.2020 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि:— अपीलान्ट ग्राम पंचायत धीमरी तहसील बाडी के 1/3 भाग का उचित मूल्य दुकानदार है, आपसी रंजिश व राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वता के कारण मंगलसिंह पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद निवासी धन्नू का पुरा ग्राम पंचायत धीमरी ने एक झूंठी शिकायत दिनांक 15.7.2020को इस आशय की प्रत्यर्थी को की कि धन्नू का पुरा के निवासी कार्डधारी ललूआराम, राजबाई, फूली, पतिराम व रामदेई गॉव छोड कर कमशः पाई का बाग बाडी, गढी फकीरा, गंगा का पुरा व ग्वालियर चले गये है लेकिन वे राशन अपीलान्ट की दुकान से अप्रेल 2019 से ले रहे है जबकि वे अपने वर्तमान स्थान पर भी नये कार्ड बनवा कर राशन ले रहे है। उपरोक्त शिकायत की जॉच पर अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 17.2.2019 को निलम्बित कर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 16.9.2020 को अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिसके विरूद्व यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत

की है कि आदेश जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपीलान्ट के विरूद्व पूर्वाग्रह मानस बना कर दुर्भावना से पारित किया है। इसी शिकायत पर पूर्व में जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निलम्बित किया था जिसकी याचिका अपीलान्ट ने आर्टीकल 226 भारतीय संविधान के अन्तर्गत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में प्रस्तुत की जिस पर जिला रसद अधिकारी धौलपुर के आदेश दिनांक 19.07.2019 को स्थगित किया गया लेकिन इसके बावजूद जिला रसद अधिकारी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी नेकनीयती साबित करने के उद्वेश्य से कार्यवाही समाप्त कर दिनांक 24.02.2020 को शिकायत का अन्तिम निस्तारण कर धारा 9 राजस्थान खाध पदार्थ एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अमानत राशि में से 1000/-रू जब्त कर लिए लेकिन जिला रसद अधिकारी धौलपुर जब अपने उद्वेश्य में सफल नहीं हुये तो उन्होंने उसी शिकायत पर पुनः जॉच की व अपीलान्ट की फर्जी हाजिरी दर्ज कर उसकी अनुपस्थिति में आदेश यह जेर अपील पारित कर दी जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। उसी शिकायत पर जॉच में यह पाया गया कि जिन उपभोक्ताओं ने राश्न सामग्री गलत रूप से प्राप्त की उन्होने ही अपना निवास स्थान बदल कर नई जगह राशन कार्ड बनवा लिए व धन्नू का पुरा के राशन कार्ड निरस्त नहीं करवाये बल्कि रसद अधिकारियों की मिली भगत से न तो धन्नू का पुरा में बने राशन कार्ड निरस्त कर अपीलान्ट को सूचना दी और ना ही नये राशन कार्डो को निरस्त किया गया। अतः शिकायत में दर्ज उपभोक्ताओं ने दौहरे राशन कार्ड बनवा कर राशन दो स्थानों से प्राप्त किया है लेकिन जिला रसद अधिकारी धौलपुर उनके विरूद्व कार्यवाही न कर अपीलार्थी को दोषी बता कर निर्णय जेर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। शिकायत में दर्ज उपभोक्ता रामदेई व पातीराम के वारिस रामवीर ने राशन प्राप्त किया है और कर रहे है। ऐसी अवस्था में अपीलान्ट के विरूद्व पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्व आरम्भ की गयी कार्यवाही का निस्तारण होने के पश्चात पुनः जॉच व आदेश पारित करना विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्लॉज 11 लगायत 16 राजस्थान खाध पदार्थ एवं आवश्यक वस्तु आदेश 1976 के अन्तर्गत उपभोक्ता जिन्होने राशन कार्डो का दुरूपयोग किया है व दोषी है लेकिन उनके विरूद्व कार्यवाही नहीं करने के बजाय अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.09.2020 अपास्त किया जावे ।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 16.09.2020,प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री गजेन्द्र बावू शर्मा जिला रसद अधिकारी धौलपुर स्वंय उपस्थित हुये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि आपसी रंजिश व राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वता के कारण मंगलसिंह पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद निवासी धन्नू का पुरा ग्राम पंचायत धीमरी ने एक झूंठी शिकायत दिनांक 15.7.2020को इस आशय की जिला रसद अधिकारी को की कि धन्नू का पुरा के निवासी कार्डधारी ललूआराम, राजबाई, फूली, पतिराम व रामदेई गॉव छोड कर क्रमशः पाई का बाग बाडी, गढी फकीरा, गंगा का पुरा व ग्वालियर चले गये है लेकिन वे राशन अपीलान्ट की दुकान से अप्रेल 2019 से ले रहे है जबकि वे अपने वर्तमान स्थान पर भी नये कार्ड बनवा कर राशन ले रहे है। उपरोक्त शिकायत की जॉच पर अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र दिनांक 17.2.2019 को निलम्बित कर दिया गया। इसके पश्चात दिनांक 16.9.2020 को अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिन उपभोक्ताओं ने राशन सामग्री गलत रूप से प्राप्त की उन्होने ही अपना निवास स्थान बदल कर नई जगह राशन कार्ड बनवा लिए व धन्नू का पुरा के राशन कार्ड निरस्त नहीं करवाये बल्कि रसद अधिकारियों की मिली भगत से न तो धन्नू का पुरा में बने राशन कार्ड निरस्त कर अपीलान्ट को सूचना दी और ना ही नये राशन कार्डो को निरस्त किया गया। अतः शिकायत में दर्ज उपभोक्ताओं ने दौहरे राशन कार्ड बनवा कर राशन दो स्थानों से प्राप्त किया है लेकिन जिला रसद अधिकारी धौलपुर उनके विरूद्व कार्यवाही न कर अपीलार्थी को दोषी बता कर निर्णय जेर अपील पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट के विरूद्व आरम्भ की गयी कार्यवाही का निस्तारण होने के पश्चात पुनः जॉच व आदेश पारित करना विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्लॉज 11 लगायत 16 राजस्थान खाध पदार्थ एवं आवश्यक वस्तु आदेश 1976 के अन्तर्गत उपभोक्ता जिन्होने राशन कार्डो का दुरूपयोग किया है व दोषी है लेकिन उनके विरूद्व कार्यवाही नहीं करने के बजाय अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही की गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.09.2020 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से उपस्थित श्री गजेन्द्र बाबू शर्मा जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व शिकायत की जॉच प्रवर्तन निरीक्षक बाडी द्वारा मौके पर जाकर की गई है उनके द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा कई अनियमितताऐं की गई। डुप्लीकेट राशनकार्ड जिनका दुरूपयोग अपीलान्ट द्वारा किया गया है। डुप्लीकेट राशनकार्डो के ट्रांजेक्शनों के आधार पर अपीलान्ट द्वारा 10.30क्वि.गेहूं, 09किग्रा.दाल व 40लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया जाना पाया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक की जॉच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट समय पर राशन वितरण नहीं करता है। रेस्पोडेण्ट द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.9.2020 सही है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.9.2020 यथावत रखा जावे ।

हमने दोनों पक्षों की प्रस्तुत वहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। रैस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपीलाधीन आदेश में उपभोक्ता लखुआराम पुत्र विधाराम जाति कोली ग्राम धन्नू का पुरा तहसील वाडी दो राशन कार्ड 007556300180 व 115301200114 होना पाये गये राशन कार्ड संख्या 007556300180 का ट्रांजेक्शन अपीलान्ट राकेश एफ.पी.एस. डीलर द्वारा तथा राशन कार्ड संख्या 115301200114 का ट्राजेक्शन बाडी सहकारी उपभोक्ता भण्डार बार्ड संख्या 09 द्वारा होना पाया गया। उपभोक्ता लखुआराम ने दिनांक 30.03.2019 तक डीलर राकेश कुमार से राशन सामग्री प्राप्त करना तथा अप्रेल 2019 से बाडी सहकारी उपभोक्ता भण्डार बाडी से राशन प्राप्त करना पाया गया। तथा उपभोक्ता राजवाई पत्नि गंगाराम जाति कोली ग्राम धन्नू का पुरा तहसील बाडी के 02 राशन कार्ड 007556300175 तथा 007543000390 होना पाये गये राशन कार्ड संख्या 007556300175 का ट्रांजेक्शन डीलर राकेश कुमार द्वारा एवं राशन कार्ड संख्या 007543000390 का ट्रांजेक्शन सीयाराम गर्ग एफ.पी.एस. डीलर तहसील बसेडी द्वारा पाया गया उपभोक्ता राजवाई ने माह जनवरी 2019 तक डीलर राकेश कुमार से तथा इसके बाद सीयाराम गर्ग डीलर बसेडी से राशन प्राप्त करना बताया गया है। तथा इसी प्रकार उपभोक्ता फूली पुत्र गुरहे जाति कहार ग्राम धन्नू का पुरा तहसील बाडी के 02 राशन कार्ड संख्या 200002223266 तथा 200002113104 होना पाये गये। राशन कार्ड संख्या 200002223266 का ट्रांजेक्शन एफ.पी.एस. डीलर राकेश कुमार द्वारा तथा राशन संख्या 200002113104 का ट्रांजेक्शन मनीश कुमार त्रिपाठी एफ.पी.एस. डीलर तहसील बसेडी द्वारा किया गया है। उपभोक्ता फूली ने राकेश डीलर से 06 माह पहले तक राशन लेना उसके बाद ग्राम गेंदापुरा तहसील सरमथुरा में अन्य उचित मूल्य दुकानदारों से राशन लेना बताया गया है। इस प्रकार राशन कार्ड संख्या 007556300180 तथा 007556300175 तथा 200002223266 डुप्लीकेट राशन कार्ड है, जिनका दुरपयोग गलत आधारसीड करवाकर उचित मुल्य दुकानदार श्री राकेश कुमार ग्राम धन्नू का पुरा ग्राम पंचायत धीमरी तहसील बाडी द्वारा उक्त राशन कार्डो पर हुए ट्रांजेक्शनों के आधार पर 10.30 क्वि. गेंहू, 09 किग्रा. दाल व 40 लीटर कैरोसीन का दुरूपयोग किये जाने के कारण अपीलान्ट राकेश कुमार का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है, कि राशन कार्ड बनाने का कार्य जिला रसद अधिकारी द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति के दो राशन कार्ड होना यह अनियमितता की श्रेणी में आता है। जिला रसद अधिकारी का ये दायित्व था, कि वह ऐसे डवल राशन कार्डों को निरस्त कर राशन डीलर को सूचित करते परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। क्लॉज 11 लगायत 16 राजस्थान खाद्य पदार्थ एवं आवश्यक वस्तु आदेश 1976 के अन्तर्गत उपभोक्ता जिन्होने राशन कार्डो का दुरूपयोग किया है व दोषी है लेकिन उनके विरूद्व कार्यवाही नहीं करने के बजाय अपीलान्ट के विरूद्व कार्यवाही की गयी है। न्यायालय जिला रसद अधिकारी व शपथपत्र अपीलार्थी के तथ्यों में स्पष्ट विसंगति प्रतीत होती है, अतः पुनः न्यायालय जिला रसद अधिकारी को उक्त अपीलाधीन प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि न्यायालय जिला रसद अधिकारी प्रकरण में स्वंय समस्थ तथ्यों का परीक्षण कर एवं यदि आवश्यक हो तो पुनः प्रर्वतन निरीक्षक से स्पष्ट निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर गुणावगुण पर पुनः यथोचित निर्णय तीन माह में अवधि में पारित करें।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना एवं प्रकरण में पुनः सुनवाई कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेंषित किया जाता उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.9.2020 अपास्त किया जाता है। न्यायालय जिला रसद अधिकारी व शपथपत्र अपीलार्थी के तथ्यों में स्पष्ट विसंगति प्रतीत होती है, अतः पुनः न्यायालय जिला रसद अधिकारी को उक्त अपीलाधीन प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है कि न्यायालय जिला रसद अधिकारी प्रकरण में स्वंय समस्थ तथ्यों का परीक्षण कर एवं यदि आवश्यक हो तो पुनः प्रर्वतन निरीक्षक से स्पष्ट निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर गुणावगुण पर पुनः यथोचित निर्णय तीन माह में अवधि में पारित करें। निर्णय की प्रति न्यायालय जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों ।

निर्णय आज दिनांक 29..06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुदर्शन सिंह तौमर)
कार्यवाहक जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)